—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 34 / 2018

उनवान

रामदेव पुत्र सोहनलाल जाति रेगर निवास ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. कलगी पुत्री उजीर खां
2. घीसू पुत्र उजीर खां
3. छोटी पत्नी उजीर खां
4. जन्नत पुत्री भूरे खां
5. दिया पुत्री उजीर खां
6. नाथू पुत्र उजीर खां
7. बदाम पत्नी उजीर खां
8. भूरी पुत्री उजीर खां
9. रोशन पुत्री उजीर खां
10. सद्धीक पुत्र भूरे खां
11. साबुदीन पुत्र भूरे खां समस्त जाति पिनारा निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
12. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 11 अनुपस्थित
12 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 1.10.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के वंकिंग खसरा नमबर रकबा 0—18—0 हाल खसरा नम्बर 1642 रकबा 0.15 की आराजी वादी द्वारा दिनांक 18.10.2001 को तत्कालीन खातेदार भूरे खां, उजीर व रसीद से कय की थी, कय करने के बाद आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण संख्या 462 दिनांक 05.11.2001 वादी के पक्ष में किया गया। किन्तु हाल जमाबंदी [illegible] विधि विरूद्व तरीके से विकेता भूरे खां व उजीर के नाम दर्ज कर दी गयी। [illegible] कारियों ने हाल जमाबंदी बनाते समय बिना रिकार्ड व मौके की [illegible] मुतनाजा वादी क बजाय प्रतिवादीगण के नाम [illegible] वादी का कब्जा कय दिनांक से चला आ रहा है। अतः आराजी मुतनाज का खातेदार वादी को घोषित कि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:25 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पांबद किया जावे

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 3046 रकबा 0–18–0 की आराजी में तत्कालीन खातेदार भूरे खां पुत्र खुदा बक्ष, उजीर पुत्र मांगू खां व रसीद पुत्र चांद खां ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरियें पंजीकृत विकय पत्र वादी को दिनांक 18.10.2001 को विकय कर कबजा व दखल सौप दिया था। उकत विकय पत्र पंजीकृत होने से उसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। आराजी मुतनाजा के उक्त विकय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 462 दिनांक 05.11. 2001 से भूमि केता/वादी के नाम तत्कालीन राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 3046 रकबा 0–18–0 के हाल खसरा नम्बर 1642 रकबा 0.15 बने है। आधार जमाबंदी सम्वत् 2059–78 में हाल खसरा नम्बर 1642 रकबा 0.15 अन्य खातेदार के साथ पुनः विकेतागण के नाम भी त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दी गयी। उक्त जमाबंद के खाता संख्या 417 में पूर्व के नामान्तकरण संख्या 462 दिनांक 05.11.2001 का अंकन भी किया गया। किन्तु रोटेशन जमांबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 218/598 में हाल खसरा नम्बर 1642 में वादी का 1/6 हिस्सा अंकित करते हुये विकेता भूरे खां व उजीर के वारिसान का नाम भी पुनः त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दिया। बंदोबसत विभाग को पूर्व इन्द्राज बिना किसी नामान्तकरण के परिवर्तित करने का कोई विधिक अधिकार नही है। विकेतागण द्वारा भूमि की प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया है तथा कब्जा वादी/केता को सुपुर्द किया है। विकेता के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र व राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वाद के कथनों की ताईद होती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 1642 रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के हिस्से पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामदेव बनाम कलगी वगै.

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 33 / 2020
पेश करने की दिनांक – 04.03.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाला माली मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 1642 रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के हिस्से पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह जून 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 37 / 2017

उनवान

1. दाखू पत्नि स्व0 कालू
2. सांवरा,
3. मूलचन्द,
4. बजरंग पि0 स्व0 कालू
5. प्रेम पत्नी रामा
6. शंकर,
7. प्रहलाद पि0 स्व0 रामा ना.बा. जरिये माता प्रेम जाति रावत निवासी देराठू नसीराबाद

—— वादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मीरा पत्नि लादू
2. बन्ना पुत्र लादू
3. अमरसिंह
4. बीरम,
5. लक्ष्मण,
6. नानक पि0 मादू
7. छोटू पि0 हीरा जाति रावत निवासी देराठू
8. उपपंजीयक अधिकारी नसीराबाद
9. सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
10. काना पुत्र गोपाल
11. गोरी पुत्र गोपाल
12. पूजा पुत्री जोधा
13. पारसी पुत्री गोपाल
14. भैरू पुत्र जोधा
15. भूरी पुत्री मादू (तर्क)
16. मेवा पुत्र मादू जाति रावत निवासी देराठू, नसीराबाद
17. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया, शाखा नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 7 व 10 से 17 अनुपस्थित
8 व 9 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :– 7.10.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू की वादग्रस्त आराजी वादीगण के पति / पिता की कयशुदा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला ख.न.	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1529	1535	5–10–0	3718	0.92
	1542	0–2–0		

उपरोक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 1529 रकबा 5–12–0 के वंर्किग खसरा नम्बर 1535 रकबा 5–10–0, 1542 रकबा 0–2–0 के हाल खसरा नम्बर 3718 रकबा 0.92 की आराजी के तत्कालीन खातेदार लादू, मादू, छोटू पि. हीरा के द्वारा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.08.1981 को कालू व रामा पि. राजू को बैचान कर दी थी। उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार द्वारा पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर केतागण को बेचान की व कब्जा तथा दखल विक्रय दिनांक को सौप दिया था। केतागण की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। विकेतागण के वारिस प्रतिवादीगण है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा नियमानुसार वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। वाद विचारण के दोरान वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 10 से 17 को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 10 से 17 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पेरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 1529 की नकल वादीगण द्वारा पेश नही की गयी है। इन्डेक्स फटा होने के कारण खसरा नम्बर ढूढंना सभंव नही है। आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर लादू, मादू, छोटू पि. हीरा के नाम खातेदारी दर्ज है। हाल जमाबंदी में आराजी मुतनाजा मीरा पत्नी लादू, बन्ना पुत्र लादू, मादू, छोटू पि. हीरा के नाम दर्ज है। विक्रय पत्र दिनांक 13.08.1981 का है। वाद का निस्तारण वादी के पक्ष में किया जाता है तो राजहित प्रभावित नही होता है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण्स के पूर्वज द्वारा विधिवत कय की गयी है ?

––वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

––वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1 :–</u>

चौसाला खसरा नम्बर 1529 र[illegible]0 के वंर्किग खसरा नम्बर 1535 रकबा 5–10–0, 1542 रकबा [illegible] लादू, मादू, छोटू पि. हीरा के द्वारा जरियें पंजीक[illegible] कालू व रामा पि. राजू को बैचान कर दी थी। उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार द्वारा पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर केतागण को बेचान की व कब्जा तथा दखल विक्रय [illegible]क को सौप दिया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:25 IST
Reason: SelfAttested

––3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

eral Rules (Civil), Rule 129, Appendix

केतागण की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। विकेतागण के वारिस प्रतिवादीगण है। वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर विकेतागण के नाम ही दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। विकता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हा चुका है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पेरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र व राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा वादीगण के पति/पिता की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण के पति/पिता की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। वंर्किग खसरा नम्बर 1535 का कुल रकबा 16–7–0 है, जो वंर्किग जमाबंदी में विकेतागण लादू, मादू, छोटू पि. हीरा के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 1535 के हाल खसरा नम्बर 3713 से 3718 व 3733 बने है। वादीगण द्वारा हाल खसरा नम्बर 3718 रकबा 0.92 की आराजी का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के समस्त हाल खसरा नम्बर प्रतिवादीगण की खातेदारी में ही दर्ज है। बंदोबस्त विभाग को आराजी मुतनाजा में से 5–12–0 आराजी वादीगण/केतागण के नाम दर्ज करनी चाहिये थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विकय पत्र से आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वाद विचारण के दौरान वादग्रस्त भूमि का कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 के पक्ष में रहन दर्ज किया गया है किन्तु आराजी मुतनाजा में से 5–12–0 भूमि वादीगण के पति/पिता द्वारा कय जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 17 के पक्ष में किया गया रहन वादीगण के हितो पर अप्रभावी है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3718 रकबा 0.92 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:25 IST
Reason: SelfAttested